न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-709-एक/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 07-02-2017 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार लवकुशनगर, जिला-छतरपुर का प्रकरण क्रमांक 18/अ-6/2015-16

.....

योगेन्द्र स्वरूप खरे तनय श्री रामस्वरूप खरे
निवासी-लवकुशनगर, तहसील लवकुशनगर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

----------आवेदक

विरूद्ध

1- अरूण कुमार खरे तनय मइयादीन खरे
निवासी-लवकुशनगर, तहसील लवकुशनगर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

2- आशुतोष तिवारी तनय महेश प्रसाद तिवारी
निवासीगण- लवकुशनगर, तहसील लवकुशनगर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

----------अनावेदगण

.....

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आशुतोष तिवारी, स्वयं, अनावेदक क्र. 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25 07 2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार लवकुशनगर, जिला-छतरपुर, द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-02-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र.02 आशुतोष तिवारी द्वारा ग्राम हरद्वार स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी नं. 195/1/1/1 रकबा 1.052 है. में से रकबा 0.286 है. का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु संहिता की धारा 109-110 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार लवकुशनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ-6/2015-16 में दिनांक 07-02-2017 से साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये का आदेश दिया गया है। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में आपत्तिकर्ता है ।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि तहसील न्यायालय में नामांतरण प्रकरण लंबित है, जिस पर पेशी दिनांक नियत की गई है तथा प्रकरण में साक्ष्य लिये जाने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं आपत्तिकर्ता की मौखिक साक्ष्य के लिये नियत किया जाना था, किन्तु तहसीलदार ने प्रकरण में आपत्तिकर्ता से प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किये जाने एवं प्रकरण में विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है । अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किया जावे। आवेदक अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 05-07-18 को आवेदन देकर अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 93/बी-121/2016-17 योगेन्द्र स्वरूप खरे बनाम अरूण कुमार खरे आदेश दिनांक 05-09-2017 को भी मंगाने का अग्राह किया है ।

4/ अनावेदक क्र .2 द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में जिस बात पर विशेष बल दिया गया है, दिनांक 07-02-2017 को अनावेदक क्रमांक 1 अरूण कुमार खरे, न्यायालय तहसीलदार लवकुशनगर के समक्ष मौजूद नहीं थे । न्यायालय तहसीलदार लवकुशनगर की ऑर्डर-शीट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अरूण कुमार खरे, न्यायालय तहसीलदार लवकुशनगर के समक्ष मौजूद थे, फिर भी आवेदक ने प्रतिपरीक्षण नहीं किया। ऑर्डर-शीट में विधिवत अनावेदक क्रमांक 1 के हस्ताक्षर है तथा आवेदक द्वारा ऑर्डर-शीट जो कि किसी भी न्यायालय का एक महत्वपूर्ण अंग होती है, की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगायाहै, जो कि पूर्णतः असत्य है । आवेदक का मूल उददेश्य यह रहा है कि वह अनावेदक क्रमांक 2 को हमेशा अनावश्यक प्रकरणों में परेशान करता रहे, जिससे आवेदक द्वारा प्रकरण को लम्बित करने का कुचक्र रचा जा रहा है, जिस हेतु आवेदक योगेन्द्र स्वरूप खरे के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 30 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण क्रमांक 93/बी-121/2016-17 था, जिसको दिनांक 05-09-2017 को निरस्त कर दिया । इससे यह स्पष्ट होता है, आवेदक एक मुकदमेंबाज व्यक्ति है,

जो मुझे अनावेदक क्रमांक 2 को बेवजह परेशान कर रहा है तथा इस निगरानी के माध्यम से माननीय न्यायालय में झुठे एवं बनावटी तथ्य पेश कर यह निगरानी प्रस्तुत कर अनावेदकगण को परेशान कर रहा है, जिससे आवेदक की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 07-02-2017 पर निम्न टीप अंकित है - "आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित । आपत्तिकर्ता ने प्रतिपरीक्षण नहीं किया है, इकरारनामा की छायाप्रति दी है। प्रकरण में साक्ष्य का अवसर समाप्त ।"

6/ आवेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07-02-2017 को एक अपंजीकृत इकरारनामा दिया है, जिस पर परीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया जाना है। उक्त आदेश पत्रिका पर आवेदक व अनावेदक के हस्ताक्षर मय तिथियों के है, जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है । जिस कारण से उक्त टीप पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक क्रमांक(2) आशुतोष तिवारी के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की है ।

3/3 7/ अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । आवेदक की निगरानी निरस्त की जाती है।

25/7/18

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,